बिहार ग्रामदान नियमावली (रूल्स), १९६६

१। संक्षिप्त नाम—यह नियमावली बिहार ग्रामदान नियमावली, १९६६ कहलायगी।

२। परिभाषाएं—इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५;

(ख) "घोषणा-पत्र" से तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा ४, ५ या २३ के अधीन फाइल किया गया घोषणा-पत्र;

(ग) धारा ५ के प्रसंग में "भूमिहीन व्यक्तियों" के अन्तर्गत व्यक्ति हैं, जिनके पास मात्र वासभूमि (बसगीत जमीन) हो;

(घ) "प्रपत्र" से तात्पर्य है अनुसूची में दिया गया प्रपत्र;

(ङ) "धारा" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा;

(च) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस नियमावली से अनुबद्ध अनुसूची;

(छ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

३। धारा ४ के अधीन घोषणा-पत्र का फाइल किया जाना और प्रकाशन—(१) (किसी सम्पत्ति का) स्वामी या उसका स्वाभाविक अथवा वैध अभिभावक या उसका प्राधिकृत अभिकर्त्ता अथवा, यदि उस सम्पत्ति के संयुक्त रूप से कई स्वामी हों, तो, ऐसे सभी स्वामी या उनके स्वाभाविक अथवा वैध अभिभावक या उनके प्राधिकृत अभिकर्त्ता धारा ४ के अधीन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे जो, इसके बाद प्रपत्र १ में अध्यक्ष के समक्ष फाइल किया जायगा अथवा उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास।

(२) घोषणा-पत्र के साथ लगी पर्चों पर अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा।

(३) अध्यक्ष को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्राप्त प्रत्येक घोषणा-पत्र बही में प्रपत्र २ में दर्ज किया जायगा और वे सारे घोषणा-पत्र, जो किसी एक ही राजस्व ग्राम से संबद्ध हों, उक्त बही में एक ही स्थान में दर्ज किये जायेंगे।

(४) अध्यक्ष, घोषणा-पत्र की प्राप्ति से एक महीने के भीतर, उसकी एक प्रति और उसके साथ-साथ प्रपत्र ३ में एक नोटिस संबद्ध ग्राम के किसी सुगोचर स्थान में और, दान में दी गई भूमि ग्राम पंचायत यदि कोई हो की स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि पड़ती हो तो, उस

www.vinoba.in

ग्राम पंचायत के कार्यालय में चिपका कर प्रकाशित करायगा। ऐसी नोटिस की प्रतियां दलायों को भी दी जायंगी।

(५) ऐसी नोटिस के अनुसार की जानेवाली कोई आपत्ति (ऐसे प्रकाशन के तीस दिन के भीतर और लिखित रूप में तथा दो प्रतियों में) फाइल की जायगी।

४। धारा ५ के अधीन घोषणा-पत्र—(१) धारा ५ के अधीन घोषणा-पत्र प्रपत्र ४ में फाइल किया जायगा।

(२) ऐसी हरेक घोषणा पत्र प्रपत्र ५ वाली बही में दर्ज की जायगी।

(३) नियम ३ के (१) से (५) तक के उप-नियम इस नियम के अधीन फाइल किए गए घोषणा-पत्र पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा ४ के अधीन फाइल किए गए घोषणा-पत्र पर लागू होते हैं।

५। आपत्तियों का निस्तारण—अध्यक्ष धारा ४ की उप-धारा (३) और धारा ५ की उप-धारा (२) के अधीन फाइल की गई हर आपत्ति को बही में प्रपत्र संख्या ६ में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा जिसकी नोटिसें प्रपत्र ७ में संबद्ध व्यक्तियों को दी जायंगी।

६। धारा ६ के अधीन किसी गांव को ग्राम-दान-ग्राम के रूप में घोषित करना—(१) धारा ४ और ५ के अधीन घोषणाओं का निस्तारण हो जाने के बाद, अध्यक्ष प्रपत्र ८ में उन गांवों और टोलों का विवरण तैयार करेगा जिन्हें ग्राम-दान-ग्राम के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव हो।

(२) किसी गांव या टोले की जन-संख्या अवधारित करने में, अध्यक्ष चाहे तो पंचायत-बही या गत जनगणना-रिपोर्ट पर निर्भर करेगा या उस क्षेत्र के राजस्व-पदाधिकारियों और पंचायत की सहायता से जन-संख्या का अवधारण नए सिरे से करायगा:

परन्तु धारा ६ की उप-धारा (१) के अनुसार जिन-जिन व्यक्तियों के विषय में घोषणा की सम्पुष्टि की गई हो उनकी संख्या की गणना में घोषणाकर्ताओं पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या पर भी ध्यान दिया जायगा।

(३) प्रपत्र ६ में बने विवरण की एक-एक प्रति जिले के समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी, संबद्ध ग्राम-पंचायत और बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५४ (बिहार अधिनियम संख्या २२, १९५४) की धारा ३ के अधीन स्थापित बिहार भूदान-यज्ञ-समिति को तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसे अध्यक्ष आवश्यक समझे भेजी जायगी और साथ ही अनुरोध किया जायगा कि उपर्युक्त विवरण के संशोधन के लिए जो भी आपत्ति या सुझाव देने हों, उक्त विवरण की प्राप्ति के दिन से तीस दिन के भीतर दे दिए जायं।

www.vinbih.in

(४) आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, अध्यक्ष उस विषय में या तो स्वयं जांच करेंगे या इसके लिए अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से जांच करायेंगे और विवरण में ऐसे संशोधन करेंगे जो वह आवश्यक समझें।

(५) यदि उक्त जांच के बाद अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि यह गांव या उसका कोई भाग धारा ६ के अधीन ग्राम-दान-ग्राम घोषित होने का हकदार है, तो वह सरकारी गजट में, प्रपत्र ९ में, अधिसूचना निकाल कर उस गांव को ग्राम-दान-ग्राम घोषित करेंगे।

(६) उप-नियम (५) के अधीन अधिसूचना की एक-एक प्रति गांव के किसी प्रमुख स्थान, कलक्टरी, अंचल कार्यालय और संबद्ध ग्राम-पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जायगी।

(७) यदि अध्यक्ष का समाधान हो कि वह गांव ग्राम-दान-ग्राम घोषित होने का पात्र नहीं है, तो वह धारा ४ और ५ के अधीन नई घोषणाएं फाइल करने के लिए तीन महीने का समय देगा और उन घोषणाओं के निस्तारण के बाद भी यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि वह गांव ग्राम-दान-ग्राम घोषित होने का पात्र नहीं है, तो वह प्रपत्र १० में इस आशय का आदेश देगा और वह आदेश यथाशीघ्र सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

७। नोटिस या आदेश तामील करने की रीति—(१) जब तक कि अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, इस अधिनियम के अधीन जो सूचना या आदेश तामील करना अपेक्षित हो, उसकी तामीली जिस व्यक्ति पर उसे तामील करना हो उसे, या उसके यथावत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता (एजेंट) को, उस नोटिस या आदेश की एक सम्यक हस्ताक्षरित और मुहर से युक्त प्रति प्रदान और प्रस्तुत करने से होगी।

(२) जिस व्यक्ति को नोटिस या आदेश तामील किया जानेवाला है उसका यदि पता न चले, और यदि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई शक्ति प्रदत्त अभिकर्त्ता न हो जो उसकी ओर से नोटिस या आदेश की तामील स्वीकार करे, तो तामीली ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी।

(३) यदि तामील करने वाला पदाधिकारी उस व्यक्ति को, या उसके तरफ से किसी अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसी नोटिस या आदेश तामील किया जानेवाला है, नोटिस या आदेश की प्रति स्वयं प्रस्तुत या प्रदान करें, तो वह उस व्यक्ति से जिसे इसकी प्रति प्रस्तुत या प्रदान की जाय, मूल नोटिस या आदेश पर तामील की अभिस्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर पृष्ठांकित कराने की अपेक्षा करेगा।

(४) जिस व्यक्ति को नोटिस या आदेश तामील किया जाने वाला है वह या उसका अभिकर्त्ता या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति यदि अभिस्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर करने से इनकार करे, अथवा यदि तामील करने वाला पदाधिकारी सारे सम्यक और यथोचित प्रयास के बावजूद उस व्यक्ति को जिस पर नोटिस या आदेश तामील किया जाने वाला है, न खोज पाए और उस व्यक्ति की ओर से नोटिस या आदेश की तामील स्वीकार करने के लिए कोई शक्ति प्रदत्त अभिकर्त्ता न हो, अथवा अन्य कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे वह तामील किया जा सके, तो, नोटिस या आदेश जिसे तामील किया जानेवाला है, वह व्यक्ति जिस मकान में

साधारणतया रहता है या कारोबार चलाता है या स्वयं काम करता है, उस मकान का बाहरी दरवाजे या उसके किसी दूसरे सुगोचर भाग में नोटिस या आदेश की प्रति चिपका कर उसकी तामील की जा सकेगी।

(५) इस उप-नियम के अधीन नोटिस या आदेश की तामील के सभी मामलों में तामील करनेवाला पदाधिकारी मूल नोटिस या आदेश में या उसके साथ एक विवरणी पृष्ठांकित या अनुबद्ध करेगा या करवायगा, जिसमें नोटिस या आदेश तामील कर दिए जाने की तारीख और रीति तथा तामील के साक्षी दो व्यक्तियों के नाम पते दिए रहेंगे।

(६) पूर्वगामी उप-नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नोटिस या आदेश जारी करने वाले पदाधिकारी को यदि उचित जान पड़े तो वह यह आदेश दे सकेगा कि नोटिस या आदेश जिस व्यक्ति पर तामील किया जानेवाला है, उसके पास ऐसी नोटिस या आदेश को यथा हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रति अभिस्वीकृति देय निबंधित डाक से भेजकर तामील किया जायगा और नोटिस या आदेश का डाक द्वारा भेजा जाना इसका पर्याप्त प्रमाण होगा कि ऐसी नोटिस या आदेश संबद्ध व्यक्ति को तामील कर दिया गया।

(७) जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन नोटिस या आदेश तामील किया जाने वाला है, वह यदि अवयस्क या विकृत-चित्त है, तो तामीली पूर्वोक्त रीति से, यथास्थिति, ऐसे अवयस्क या विकृत-चित्त व्यक्ति के अभिभावक को की जायगी।

(८) जब तक कि अधिनियम या नियमावली में अन्यथा उपबंधित न हो, अधिनियम या नियमावली के उपबंधों के अधीन तामील की जानेवाली कोई सामान्य या सार्वजनिक नोटिस या आदेश, संबद्ध सम्पत्ति जहां अवस्थित हो वहां, किसी सुगोचर सार्वजनिक स्थान में उस नोटिस या आदेश की प्रति कम-से-कम दो व्यक्तियों की उपस्थिति में चिपकाकर तामील किया जायगा। नोटिस के प्रकाशन की घोषणा इसके प्रकाशन स्थान पर डुग्गी पिटवाकर की जायगी।

ऐसी स्थिति में तामील-पदाधिकारी मूल नोटिस में या उसके साथ एक विवरणी पृष्ठांकित या अनुबद्ध करेगा या करवायगा, जिसमें उस नोटिस के प्रकाशित किये जाने की तारीख और रीति तथा ऐसे दो व्यक्तियों के नाम पते दिये रहेंगे जिन्होंने वैसे प्रकाशन को प्रत्यक्ष देखा या अभिप्रमाणित किया हो।

८। **अध्यक्ष द्वारा जांच की रीति**—सुनवाई के लिये नियत तारीख को, या किसी अस्थगित तारीख को, घोषक और आपत्ति-कर्त्ता की सुनवाई करने और दिये गये साक्ष्य पर विचार करने तथा यथावश्यक और भी जांच करने के बाद अध्यक्ष या तो घोषणा को संपुष्ट करेगा या संपुष्ट करने से इनकार कर देगा।

९। **घोषणा की संपुष्टि करनेवाला आदेश**—घोषणा-सम्पोषक आदेश में जमीन की सर्वे-प्लोट-संख्या और यदि प्लोट का कोई भाग हो तो, उसका क्षेत्रफल और चतुःसीमा (चौहद्दी) तथा गांव का नाम और थाना-संख्या स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट रहेगी।

www.vinoba.in

१८। किसी गांव के भाग का पृथक् राजस्व ग्राम के रूप में निर्बंधन—(१) जहां राजस्व ग्राम का कोई भाग ग्रामदान के रूप में घोषित किया गया हो, वहां ग्रामदान ग्राम की ग्राम सभा जिले के समाहर्त्ता के समक्ष फॉरम ११ में आवेदन देगी।

(२) ऐसा आवेदन मिलने पर समाहर्त्ता इस विषय की जांच या तो स्वयं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करायगा।

(३) यदि ऐसी जांच के बाद समाहर्त्ता का समाधान हो जाय कि राजस्व ग्राम के भाग को शेष राजस्व ग्राम से पृथक् कर देना चाहिये, तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उक्त भाग को पृथक् राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करेगा और उसे तदनुसार निर्बंधित करेगा।

(४) मूल-राजस्व ग्राम की सार्वजनिक भूमि को यथासंभव विभक्त ग्राम के दोनों भागों के अपने-अपने क्षेत्रफल के अनुसार, अनुपाततः इस रीति से अभिभाजित किया जायगा कि वह जमीन उस गांव के भाग-विशेष से संस्पर्शित रह सके।

११। भू-राजस्व की वसूली के लिये तहसील खर्च की दर—भू-राजस्व की वसूली के लिये तहसील खर्च की दर और उस (भू-राजस्व) के विप्रेषण का समय तथा रीति भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियत की जायगी और सामान्यतः उसी परिपाटी पर होगी जो कि ग्राम पंचायत के लिये अनुमत है।

१२। धारा १८ (१) के अधीन ग्रामदान-किसान के हित को समाप्त करना—(१) यदि कोई ग्रामदान-किसान धारा १८ की उप धारा (१) में दी हुई किसी शर्त का उल्लंघन करे तो संबद्ध ग्राम सभा ग्रामदान-किसान के भूबद्ध हित को समाप्त कर दे और यदि जमीन उसके कब्जे में हो तो, उससे उसे बेदखल करने के लिये उस अंचल के अंचल अधिकारी के समक्ष प्रपत्र १२ में आवेदन दे सकेगी।

(२) आवेदन मिलने पर अंचल अधिकारी, ग्रामदान-किसान और ग्राम-सभा को नोटिस भेजेगा और उनकी सुनवाई तथा यथोचित जांच करने के बाद आवेदन पर आवश्यक आदेश देगा।

(३) यदि अंचल अधिकारी बेदखली का आदेश दे, तो वह इसके लिये यथावश्यक बल-प्रयोग द्वारा ग्रामदान-किसान को या अन्य किसी व्यक्ति को, जो उक्त जमीन पर गैर-कानूनी कब्जा किये हो, बेदखल करके उक्त जमीन ग्राम-सभा के कब्जे में दे देगा।

(४) अंचल अधिकारी ग्रामदान-किसान का हित समाप्त करने या उसे बेदखल करने का आदेश देने के बजाय, ग्राम-सभा को यह आदेश दे सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये जमीन का प्रबंध अपने हाथ में ले लें।

www.vinoba.in

(५) अस्थायी तौर पर प्रबंधित ऐसी सारी जमीन का ब्योरा प्रपत्र सं० १३ में रखी जानेवाली बही में दर्ज किया जायगा।

(६) अंचल अधिकारी एक ऐसी तारीख भी नियत कर सकेगा जिस तारीख तक ग्रामदान किसान या जमीन पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति जमीन का प्रबंध ग्राम-सभा को सौंप देगा। यदि ग्रामदान किसान या जमीन पर कब्जा रखनेवाला व्यक्ति उस तारीख तक जमीन का प्रबंध न सौंपे, तो अंचल अधिकारी ग्रामदान-किसान या कब्जा रखने वाले व्यक्ति को ऐसे बल प्रयोग द्वारा निष्कासित कर सकेगा, जो उसे इस प्रयोजनार्थ आवश्यक जान पड़े ग्राम-सभा उक्त अवधि के बाद उस जमीन पर ग्राम दान-किसान या उसके वारिस या हित उत्तराधिकारी का कब्जा पुनः स्थापित कर देगी।

(७) ग्राम-सभा को जो जमीन प्रबंध के लिये सौंपी जायगी उसमें वह या तो अपने ही आदमियों द्वारा या किसी दूसरे आदमी द्वारा खेती करेगी। यदि उस जमीन में ग्राम-सभा के अपने ही आदमी खेती करें तो ग्राम-सभा कृषि वर्ष की हर तिमाही में ऐसी जमीन पर हुए व्यय और उससे हुआ आय का पूरा लेखा रखेगी। किसी दूसरे मामले में वस्तुतः खेती करने के लिये जमीन जिस व्यक्ति को सौंपी जाय, वही ऐसी जमीन की खेती पर हुये सभी व्यय और उससे हुए आय का लेखा रखेगा और ग्राम-सभा को कृषि वर्ष की हर तिमाही का पूरा लेखा, जिस पूर्ववर्त्ती तिमाही से लेखे का संबंध हो, उससे एक महीने के भीतर, अर्पित कर दिया करेगा।

(८) लेखा ज्योंहि ग्राम-सभा द्वारा अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाय या खेती का भार जिस व्यक्ति को सौंपा गया हो उसके द्वारा अर्पित कर दिया जाय कि त्योंहि फाजिल आय, धारा १८ की उप-धारा (४) में यथा-उल्लिखित कटौती करके ग्रामदान-किसान को नगद या वस्तु रूप में दे दी जायगी।

१३। <u>धारा २० के अधीन भूमिहीन व्यक्ति</u>—धारा २० के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "भूमिहीन व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो कि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५४ (बिहार अधिनियम सं० २२, १९५४) की धारा २४ के अधीन बने बिहार भूदान यज्ञ विनियम के नियम २ के खंड (घ) में परिभाषित है।

१४। <u>बंटती का बेदखल किया जाना</u>—(१) यदि कोई भू-बंटती (वह व्यक्ति जिसे भूमि बंटती की गई हो) धारा २० की उप-धारा (२) के खंड (ख) के उपबंध का उल्लंघन करे या अपनी बांट में पड़ी जमीन का बकाया न चुकावे तो ग्राम-सभा धारा २४ के अधीन, उक्त बंटन को रद्द करने के लिये संबद्ध अंचल अधिकारी के पास प्रपत्र १४ में आवेदन करेगी।

(२) आवेदन प्राप्त होने पर अंचल-अधिकारी बांटती और ग्राम-सभा के नाम नोटिस जारी करेगा और उन दोनों की सुनवाई और अपने विचारानुसार उचित जांच करने के बाद, आवेदन पर आवश्यक आदेश देगा।

(३) यदि अंचल अधिकारी बंटन रद्द करने और जमीन पर ग्राम-सभा का कब्जा पुनः स्थापित करने का आदेश दे, तो वह उस बांटती को या उस जमीन पर कब्जा रखे हुए किसी

www.vinoba.in

दूसरे व्यक्ति को यथावश्यक बल प्रयोग द्वारा बेदखल करके उस जमीन का कब्जा ग्राम-सभा को दे देगा।

(४) अंचल अधिकारी बंटन को रद्द करने और भूमि को पुनः ग्राम-सभा के कब्जे में कर देने के बजाय, ग्राम-सभा को यह आदेश दे सकेगा कि वह आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिये उक्त भूमि का प्रबंध अपने हाथ में ले ले, और प्रबंध ग्रहण करने के लिये तारीख भी नियत कर सकेगा। यदि बंटती या उस भूमि पर कब्जा रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख तक भूमि का प्रबंध न सौंपे, तो अंचल अधिकारी बांटती या कब्जा रखनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को यथावश्यक बल प्रयोग द्वारा बेदखल कर सकेगा। उक्त अवधि के बाद ग्राम-सभा उस भूमि पर पुनः बांटती को कब्जा दिला देगी।

(५) अस्थायी तौर पर प्रबंधित ऐसी सभी भूमि का ब्योरा प्रपत्र-१३ में रखी बही में दर्ज किया जायगा।

(६) ग्राम सभा उस भूमि का प्रबंध करेगी और उससे होनेवाली फाजिल आय, अगर हो तो नियम १२ के उप-नियम (७) और (८) के उपबंधों के अनुसार, बांटती को दे देगी।

१५। अपील—(१) अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील—

(क) जब आदेश उस व्यक्ति द्वारा जिसे अधिनियम के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गये हों, और धारा ४, ५, ६ तथा २३ के उपबंधों के अधीन दिया गया हो, तब समाहर्त्ता के पास की जायगी;

(ख) जब आदेश अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप-नियम (१) के खंड (क) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन, दिया गया हो, तब उस व्यक्ति के पास की जायगी जिसे राज्य सरकार ने ग्रामदान-आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया हो;

(ग) जब आदेश अंचल अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा १८ और २४ के अधीन दिया गया हो, तब समाहर्त्ता के पास की जायगी अथवा उप-समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति के किसी ऐसे पदाधिकारी के पास जिसे इसके लिये विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गयी हो;

(२) राजस्व बोर्ड के पुनर्विलोकन आदेश के उपगत रहते हुए यह है कि समाहर्त्ता और ग्रामदान आयुक्त का अपीलीय आदेश अंतिम होगा।

(३) किसी आदेश के विरुद्ध ऐसी कोई अपील गृहीत न होगी जो उस आदेश की तारीख से ३० दिन के बाद की जाय।

(४) अपीलों की एक बही प्रपत्र १५ में रखी जायगी।

१६। अपील-सुनवाई-प्रक्रिया—अपीलों के निस्तारण में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया, यथा संभव, वही होगी जो व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८ (अधिनियम ५, १९०८) के आदेश ४१ के अधीन दीवानी अपीलों के लिये उपबंधित है।

www.vinoba.in

१७। फीस—इस अधिनियम के अधीन आवेदन और अपील के साथ दाखिल की जानेवाली फीस, कोर्ट फीस एक्ट, १८७० (अधिनियम ७, १८७०) के अनुसार लगेगी।

१८। ग्राम सभा को अंशदान—(१) ग्राम सभा बहुमत का अन्दाजा लगाकर, निर्णय करेगी कि आवार्षिक अंशदान किस समय के भीतर और किस रीति से लिया जाय, तथा अंशदान प्राप्त करने के समय के बारे में निर्णय करते समय वह उस क्षेत्र की प्रमुख फसलों की कटनी के समय की ओर स्थानीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखेगी।

(२) अंशानुदान-बही प्रपत्र १६ में रखी जायगी।

१९। सदस्य-बही—सदस्य बही, फॉरम १७ में प्रथमतः उस ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा तैयार की जायगी जिसके अधिक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह ग्राम दान-ग्राम अवस्थित हो। इस तरह तैयार की गई बही को ग्राम-सभा का सचिव हर वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित कर दिया करेगा।

२०। ग्राम-सभा के सभापति का निर्वाचन—(१) ग्राम-सभा, अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में, अध्यक्ष द्वारा यथानियत तारीख को, जिसकी समुचित नोटिस ग्राम-सभा को दे दी जायगी, अपना सभापति निर्वाचित करने की कार्यवाही करेगी।

(२) इस तरह नियत तारीख को पीठासीन पदाधिकारी ग्राम-सभा के बहुमत का अन्दाज लगायगा और हो सके तो सभापति का निर्वाचन निर्विरोध करायगा।

(३) यदि पीठासीन पदाधिकारी सभापति का निर्वाचन सर्वसम्मति से नहीं करा सके तो वह बैठक को पन्द्रह दिनों के लिए स्थगित कर देगा और इस बीच सर्वसम्मत से निर्वाचन के लिए लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करेगा। यदि उस स्थगित तारीख को भी सभापति का निर्वाचन सर्वसम्मति से संभव नहीं हो, तो वह किसी एक उम्मीदवार को इस आधार पर सभापति निर्वाचित घोषित कर देगा कि सामान्य बहुमत उसके पक्ष में है।

(४) यदि किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में सामान्य बहुमत के होने का निश्चय करना संभव नहीं हो तो उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार लौटरी द्वारा सभापति निर्वाचित किया जा सकेगा।

(५) ग्राम-सभा एक कार्यवाही पुस्तक रखेगी, जिसमें सभी बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित और बैठक के सभापति द्वारा यथावत् हस्ताक्षरित की जायगी।

२१। ग्राम-सभा अदालत—(१) ग्राम-सभा पांच व्यक्तियों को ग्राम-सभा अदालत का सदस्य निर्वाचित करेगी और ये सदस्य अपने में से एक को सरपंच निर्वाचित करेंगे जो अदालत की अध्यक्षता करेगा और अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

www.vinoba.in

(२) सरपंच और अन्य सदस्यों की पदावधि अपने-अपने निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की तथा और भी उतने समय की होगी जितना समय नई ग्राम-सभा अदालत की स्थापना होने तक बीते।

२२। ग्राम-सभा अदालत की बही--ग्राम-सभा अदालत व्यवहार-वादों और प्रकीर्ण मामलों की एक-एक बही क्रमशः प्रपत्र सं० १८ और १९ में रखेगी।

२३। ग्राम-सभा द्वारा धन उधार लिया जाना और उधार लेने की सीमा--ग्राम-सभा अनुसूचित बैंकों से, उस क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंक से या सरकारी एजेंसियों से प्रति परिवार एक सौ रुपये तक या ग्राम-निधि की दस गुनी राशि तक धन उधार ले सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, ग्राम-सभा से आवेदन पर और यथावश्यक जांच के बाद इस सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी।

२४। ग्राम-निधि का प्रयोग और प्रबंध—(१) ग्राम-निधि डाक बचत बैंक में, केन्द्रीय सहकारी बैंक में या उस क्षेत्र के किसी अनुसूचित बैंक में जमा की जायगी और उससे निकासी ग्राम-सभा के सभापति और कार्य-समिति के वैसे सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायगी जो कार्य-समिति के प्रस्ताव द्वारा इसके लिए यथावत् शक्ति संपन्न हो।

(२) ग्राम-निधि का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा:—

(क) ग्रामदानी-किसान या ग्राम-सभा के किसी अन्य सदस्य को ऋण देने के लिए;

(ख) संबद्ध क्षेत्र में सुधार-कार्य के लिये जैसे, बांध, पईन आदि का निर्माण जिसका खर्च अन्ततः लाभानुभोगियों से वसूला जायगा;

(ग) गांव के अनाथ बच्चों, बूढ़ों और अशक्तों के भरण-पोषण का प्रबंध करने के लिए;

(घ) ग्राम-सभा के बेरोजगार सदस्यों को रोजी देने की योजना चालू करने के लिए;

(ङ) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसे ग्राम-सभा आवश्यक समझे बशर्ते कि उसे अध्यक्ष अनुमोदित करें।

(३) राज्य सरकार या अध्यक्ष समय-समय पर जो निदेश दे उनके अधीन रहते हुए, यह है कि ग्राम-सभा ग्राम-निधि के प्रयोग और विनिवेश की शर्तें और ब्यौरे विनिश्चित करेगी।

(४) आय-व्यय का लेखा प्रपत्र सं० २० में रखा जायगा।

www.vinoba.in

अनुसूची

प्रपत्र १

धारा ४ के अधीन घोषणा

[नियम ३(१) द्रष्टव्य]

मैं/हमलोग ....., पिता/पति का नाम ....., निवास/ग्राम ....., थाना सं० ....., अंचल ....., जिला ..... अपनी ओर से या ..... के स्वाभाविक अभिभावक/आधिकृत अभिकर्त्ता (एजेंट) के रूप में ..... की ओर से, गांव ....., थाना सं० ....., अंचल ....., जिला ..... में अवस्थित अपनी सभी भूमि ग्राम-दान के रूप में इसके द्वारा दान करता हूं/करती हूं/करते हैं। जिसका विस्तृत विवरण इस फारम के अनुबन्ध "क" में दिया गया है।

इस शर्त उपगत मैं/हमलोग ग्रामदान-किसान के रूप में जमीन के १९२० के भाग का बिहार भू-सुधार (अधिकतम क्षेत्र निर्धारण और अतिरिक्त भूमि-अर्जन) अधिनियम, १९६१ के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम क्षेत्र से अनधिक जमीन ही रखूंगा/रखेंगे जो कि प्रपत्र के अनुबन्ध "ख" में वर्णित है।

मैं/हमलोग यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हमलोग ग्राम के ग्रामदान में शामिल होऊंगा/होंगे और सामुदायिक प्रयोजनों के लिए धारा १७ की उप-धारा (१) के खंड (च) के उपबन्ध के अनुसार ग्राम-सभा में आवधिक अंशदान करूंगा करेंगे। अनुबन्ध "क" में बताई गई सरकारी जमीन जो स्थायी अधिकार के बिना मेरे/हमलोगों के कब्जे में है, उसके संबंध में घोषणा अनुमोदित करनेवाले सरकारी आदेश की एक प्रति संलग्न है। प्रपत्र के अनुबंध "ग" में दी गई सूची के अनुसार मेरे/हमलोगों के अधीन आश्रितों की कुल संख्या ..... है।

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

www.vinoba.in

प्रपत्र १ (क्रमशः)

अनुबन्ध "क"

कुल जमीन—

क्रम सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल	अभ्युक्ति (यहां पट्टा, बंधक, अबंध कब्जा, भूदान में दी गई जमीन, सरकार से लेकर धारित भूमि आदि के ब्योरे दें।)
१	२	३	४	५

अनुबन्ध "ख"

जमीन जो अपने पास रखी जानेवाली हो—

क्रम सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल	अभ्युक्ति (पट्टा आदि के ब्योरे दें)

www.vinoba.in

अनुबन्ध "ग"

क्रम सं०	आश्रित का नाम	पिता या पति का नाम	उम्र	सम्बन्ध	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६

रसीद

..... से ..... अधिनियम की धारा ४ के अधीन घोषणा का प्रपत्र पाया।

.....

पानेवाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर तारीख सहित।

श्री विवरण लागू न हों उन्हें काट दें।

www.vinoba.in

प्रपत्र २।

धारा ४ के अधीन फाइल की गई घोषण-बही।

[नियम ३(३) द्रष्टव्य।]

ग्राम............ अंचल........ जिला..........

क्रम सं०।	प्रस्तुत करने की तारीख।	जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई।	दाता(ओं) का नाम और पता।	नोटिस देने की तारीख।	नोटिस तामील की तारीख।	आपत्तिकर्ता(ओं) का नाम और पता।	आपत्ति(यों) पर लिये गए आदेश का सारांश तारीख सहित।	अभ्युक्ति।
१	२	३	४	५	६	७	८	९

www.vinoba.in

प्रपत्र ३।

धारा ४ के अधीन घोषणा की नोटिस।

[नियम ३(४) द्रष्टव्य।]

गांव....., थाना सं० ....., अंचल .....
जिला....., में प्रकाशन के लिये।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि श्री श्रीमती ..... ने, जो ..... के पुत्र पुत्री पत्नी हैं और ग्राम ....., अंचल ....., जिला..... के निवासी हैं, इससे अनुबद्ध प्रपत्र १ की घोषणा के अनुबन्ध "क" में दिए गए ब्योरे के अनुसार अपनी जमीन दान की है।

उक्त जमीन से हितबद्ध सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से ३० दिन के भीतर अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करें।

..... को प्रकाशित।

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

कार्यालय की अवस्थिति.....

प्रपत्र ४।

(धारा ५ के अधीन घोषणा।)

[नियम ४(१) द्रष्टव्य।]

मैं/हमलोग ....., ... का के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी, ग्राम ....., थाना सं० ....., अंचल ....., जिला ..... निवासी अपनी ओर से या और ..... के/की पुत्र पुत्री/पत्नी ..... के प्राधिकृत अभिभावक प्राधिकृत अभिकर्त्ता (एजेन्ट) के रूप में ..... की ओर से इसके द्वारा घोषित करता हूं करते हैं कि मैं/हमलोग और ग्राम के ग्रामदान में शामिल होऊंगा/होंगे और सामुदायिक प्रयोजनों के लिए नियम १८ के अनुसार अपनी आय का १/३०वां भाग आवधिक अंशदान के रूप में दूंगा/देंगे। मुझे/हमलोगों के पास केवल ..... बसगीत जमीन है और मैं/हमलोग नियम २(ग) के अधीन भूमिहीन व्यक्तियों की कोटि में आता हूं/आते हैं।

अनुबन्ध "क" में दी गई सूची के अनुसार मेरे/हमलोगों के अधीन आश्रितों की कुल संख्या ..... है।

हस्ताक्षर .....

तारीख .....

www.vinoba.in